S.S.T No. 98/2024
State Vs. Janakraj Sharma
J.O.Code No- UP 2414

UPJL010033552024

Presented on : 13-06-2024
Registered on : 13-06-2024
Decided on : --
Duration :

IN THE COURT OF
Spl. Judge SC/ST Act
AT ,Jalaun
(Presided Over by SURESH KUMAR GUPTA)

Session Trial/98/2024

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), जालौन स्थान उरई।

सत्र परीक्षण संख्या–98/2024

राज्य	बनाम	जनकराज शर्मा आदि।
		धारा–420,467,468,471,34 भा0दं0सं0 व 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना एट, जिला जालौन।

दिनांकः 18.11.2025

निस्तारण उन्मोचन प्रार्थना पत्र 10ख

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अभियुक्त मोहम्मद लईक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 10ख पर विगत तिथि को सुना जा चुका है। आज आदेश हेतु पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त मोहम्मद लईक द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र 10ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है न ही मौके पर प्रार्थी को गिरफ्तार किया गया है। गौ सेवक सुमित शर्मा की सूचना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी है, और न ही उसके धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयान अंकित किये गये हैं। उसका नाम सह अभियुक्त गुलजार के बयान के आधार पर प्रकाश में आया है। अभियुक्त नवीन कुमार पुत्र रूपलाल को पकड़ा गया है। जब कि सह अभियुक्त नवीन की लोकेशन दिनांक 17.12.2023 को पश्चिम बंगाल की थी। वह किसी भी कम्पनी, फर्म या फैक्ट्री का मालिक नहीं है, जिस कोल्ड स्ओरेज का हवाला दिया गया है वह 17 दिन पूर्व से बंद पड़ी थी। उसके राजेश कुमार से कोई मुलाकात नहीं हुई। उसने राजेश कुमार का कोल्ड स्टोरेज कभी भी किराये पर नहीं लिया हैं उसकी गिरफतारी एट से फर्जी दिखायी गयी है, उसे दिल्ली से पकड़ा गया है। बरामद मोबाईल

Digitally signed by Suresh Kumar Gupta
Date: 2025.11.20 10:46:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

रिलीज किये जा चुके है। विवेचना निष्पक्ष रूप से नहीं की गयी है। उपरोक्त आधारों पर पुलिस द्वारा लगाये गये आरोपों से उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए मुख्यतः कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त तथा अन्य सह अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है तथा यह लोग टीम बनाकर गौमांश का व्यापार करते थे और फिश फुड के नाम से माल लोड करके गौमांश लोड कराते थे तथा धोखाधड़ी व कूटरचना करके गौमाशं के स्थान पर फिश फुड की बिल्टी बनवाते थे। दिनांक 20.12.2023 को समय 22:00बजे एट टोल प्लाजा के पास पुलिस द्वारा कंटेनर नं0 DL 1GC 4302 को पकड़ा गया जिसे उसका चालक नवीन कुमार चला रहा था, जिसका वाहन स्वामी का नाम जनक राज शर्मा बताया तथा माल के मालिक का नाम मु0 युशुफ बताया। उपरोक्त गाड़ी में फिस फूड माल दिल्ली से ARIBA ENTER PRISES HNO 1 1ST FLOOR GALI NO 9 बृजपुरी इक्टेन्सन परवाना रोड दिल्ली 110051 C/O जगदीश कोल्ड स्टोर ब्रिटानिया रोड डा० लोहिया इण्डस्ट्रियल ऐरिया रामपुरा इण्डस्ट्रियल ऐरिया त्रिनगर दिल्ली 110035 GSTN 07AAWPQ6089P2ZA से लोड करके SNOWMAN LOGISTICS LIMITED SY NO 605 and 630 DEVARAAMJAL VILL KOMPLLY SHAMIRPET MANDALMEDCHAL MALKAJGIRI HYDERA BAD TELANGANA 500078 GSTIN 36AAFCS 3514 HIZH को ले जाना बताया तथा चालान की मूल प्रति प्रदान की, किन्तु उक्त टेंकर से गौमांश बरामद किया गया, जिसे जांच में प्रतिबंधित पशु का मांश होना पाया गया। आवेदक उक्त कोल्ड स्टोरेज का संचालक है। उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा विवेचना की गयी और बाद विवेचना अभियुक्त मोहम्मद लईक के विरूद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया गया है। अभियुक्त मोहम्मद लईक के विरूद्ध प्रथम दृष्टया पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए आरोप विरचित किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि पुलिस द्वारा दिनांक 20.12.2023 को समय 22:00बजे एट टोल प्लाजा के पास कंटेनर नं0 DL 1GC 4302 को पकड़ा गया जिसे उसका चालक नवीन कुमार चला रहा था, जिसका वाहन स्वामी का नाम जनक राज शर्मा बताया तथा माल के मालिक का नाम मु0 युशुफ बताया था, जिसकी बिल्टी GSTN 07AAWPQ6089P2ZA से बनी थी। उक्त कन्टेनर में की बिल्टी फिश फुड की थी, जब कि कन्टेनर के अंदर से गौमांश बरामद किया गया था। अभियुक्त मोहम्मद लईक के विरूद्ध भी प्रथम दृष्टया पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र में जो आधार लिये गये हैं, वे पत्रावली पर साक्ष्य आने के बाद ही निस्तारित किये जा सकते हैं, जिन्हें

न्यायालय द्वारा दौरान विचारण देखा जायेगा। आरोप विरचन के स्तर पर अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को ही प्रथम दृष्टया सही माना जाता है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी नजीर **अत्याचार निरोधी परिषद बनाम दिलीप, (1989) 1 एस0सी0सी0 715** तथा **महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रिय शरण महाराज, 1997 सी0आर0एल0जे0 2248** में यह कहा है कि आरोप विरचन हेतु पर्याप्त आधार से तात्पर्य दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार नहीं, बल्कि अभियुक्त का विचारण किए जाने हेतु पर्याप्त आधार से है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी नजीर **राजवीर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य, 2006 (55) ए0सी0सी0 318** में यह कहा है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यदि गंभीर संदेह पैदा हो तो भी आरोप विरचित किया जा सकता है। माननीय उच्. चतम न्यायालय ने अपनी नजीर **बिहार राज्य बनाम रमेश सिंह, ए0आई0आर0 1977 सुप्रीम कोर्ट 2018** में यह कहा है कि अभियुक्त की दोषिता अथवा निर्दोषिता का निर्धारण विचारण के द्वारा किया जा सकता है, आरोप विरचन के समय नहीं।

अतः पत्रावली पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित करने हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त मोहम्मद लईक द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र 10ख निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते आरोप विरचन बाद लंच पेश हो।

दिनांकः–18.11.2025

(सुरेश कुमार गुप्ता)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)
जालौन स्थान उरई।